कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड
लोक निर्माण विभाग, डोईवाला (देहरादून)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D., Doiwala
Phone & Fax- 01352695884
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eenhdoiwala@rediffmail.com

पत्रांकः– 789 / 14 सी० दिनांक 10 /05/2018

सेवा में,

Vindhya Telelinks Limited.
EPC Division,
Plot No. E-237, Tower Greens,
3rd Floor, VIII B, Industrial Area,
Mohali-160055, Punjab, India.

विषयः– Laying optical fibre Cable Arial Mode Charges by Vindhya Telelinks Limited from Campty Toll Barrier to Forest Check Post Yamuna Pul in NH-707A. (Km 133.500 to 150.00)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक शून्य दिनांक 28.04.2018

उपरोक्त विषय के कम में आप द्वारा प्रेषित **बैंक ड्राफ्ट सं 192108 दिनांक 24/04/2018** स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा **रू0 505312.00** इस कार्यालय मे प्राप्त किया गया है, जिसके कम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 707ए के कि0मी0 133.500 से 150.00 में रोड कटिंग हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:–

1– यदि भविष्य मे मार्ग चौडीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा बिछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाईन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि वह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा यदि पाईन लाईन हटाई नहीं जाती और दबा दी जाती है, तो उस दशा मे दबी लाईन की सप्लाई बंद करनी होगी। मार्ग के नीचे लाईन लीकेज के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो कि राजकीय क्षति के साथ–साथ कई बार दुर्घटना का कारण भी बन जाता है।

2– मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिप्टैसिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।

3– सड़क काटते समय यातायात की सुविधा एव सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनो ओर प्रबन्ध किये जाय, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4– जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एव जिलाधिकारी महोदय देहरादून को यथासमय सूचित किया जाये।

5– उपरोक्त स्वीकृति दिनॉक 31.12.2018 तक वैद्य है तथा उक्त तिथि के बाद 2 % अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।

6– सीवर लाईन बिछाने का कार्य सड़क की सतह से कम से कम 1.00 मीटर गहराई पर होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इससे कम गहराई पर लाईन बिछाई जाती है तो यदि भविष्य मे मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये 1.00 मीटर से कम गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7– सड़क काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिटटी को लो0नि0वि0 की विशिष्टियो के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।

8– खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रेंच के एक ओर तथा खुदाई की मिटटी दूसरी ओर रखी जाये। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिटटी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिटटी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाय, मिटटी तथा ब्लास्ट को टैकर से पानी डालकर काम्पैक्ट किया जाय।

9– जब कभी लाईन मे आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमाकर अनुमति लेनी होगी।

10– रोड कटिंग चार्जेज **रू0 505312.00** जो कि आपके द्वारा **बैंक ड्राफ्ट सं 192108 दिनांक 24/04/2018** द्वारा **स्टेट बैंक आफ इण्डिया**, में जमा किये गये है व मार्ग को भविष्य मे सुचारु रुप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते है। यह राशि नॉन रिफन्डेबिल है।

11– खुदाई की मिटटी पक्की सतह पर न डाली/छोडी जाय।

12– आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि **16.50 किलोमीटर** लम्बी रोड कटिंग, जिसका विवरण उपर दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग उक्त क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवायें जायेगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।

13– कार्य कराने से पूर्व पुलिस विभाग से उक्त रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

14– मार्ग पर कार्य करते समय सड़क के दोनो किनारों पर सूचना बोर्ड लगाकर यातायात को सुगम रखे।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)।

पत्रांक /14सी0 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता प्रथम रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एव अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय, यदि निरीक्षण के दौरान इसमे अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित मेट व अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपि–खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 डोईवाला देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)